फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

श्री / छितरमी

केस संख्या 51/2019

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/1/2025	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र धारा-11 पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र धारा-11 हेतु दिनांक 29/1/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	29/1/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०क्र० उप०। पत्रावली धारा-11 के आदेश हेतु नियत है। वाद पूर्व न्याय के सिद्धान्त अर्थात रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है, अतः प्रा० पत्र धारा-11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.05 14:24:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अंजु वर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 51/2019 वाद प्रस्तुति दिनांक : 12.06.2019

1. भूरी देवी पत्नी चन्दालाल जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम राधापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

2. पुष्पा देवी पत्नी श्री गुलाब चन्द जाति बागडा ब्रहम्ण हाल निवासी ग्राम नई कोठी की ढाणी, चौप तहसील आमेर जिला जयपुर।

.......वादीगण

बनाम

1. छिगनी देवी पत्नी कानाराम जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम राधापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. उप पंजीयक जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

.......प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –11 संपठित धारा 151 सीपीसी

निर्णय दिनांक – 29.01.2025

हस्तगत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि प्रकरण में उनवानी वाद मान्य न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर के समक्ष एक वाद 95/2020 उनवानी संतरा उर्फ संतोष देवी वगैराह बनाम तीजा देवी व अन्य में अन्य खसरा नंबरान् के साथ साथ प्रस्तुत वाद में विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 224, 236, 239, 240, 242 के संबंध में भी मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2022 को [illegible] विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को निर्णित करते हुए [illegible] पारित कर दी गई। जिसके पश्चात् कुर्रेजात रिपोर्ट पेश कर दिनांक [illegible].2022 को उक्त वाद में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वाद में पक्षकारान को अलग–अलग खातेदारियां प्रदान कर दी गई जिसमें वादिया भूरी देवी पत्नी चंदालाल के हिस्से की भूमि भी अलग कर दी गई, तथा वादिया विमला देवी पत्नी गंगाधर की खातेदारी भी अलग कर दी गई, तथा प्रार्थिया छिगनी देवी की भूमि भी अलग कर दी गई और

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.05 14:24:05 IST
Reason: Self Attested

अब वादियागण व प्रार्थिया की भूमि शामलाती नहीं रही है इसलिए बंटवारा किये जाने का अनुतोष शेष नहीं रहता है, उक्त निर्णित वाद में वर्तमान वादिया भूरी देवी व विमला देवी पूर्ववर्ती निर्णित वाद में प्रतिवादी नंबर 18 व 19 बतौर पक्षकार थी तथा उक्त पूर्ववर्ती निर्णित वाद में प्रार्थिया छिगनी देवी भी बतौर पक्षकार प्रतिवादिया नंबर 17 दर्ज थी, उक्त पूर्ववर्ती निर्णित वाद में वादियागण का हिस्सा अलग–अलग करते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई अर्थात पूर्ववर्ती निर्णित वाद किया ज़ा चुका है, इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत अर्थात रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत से बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है। पूर्ववर्ती निर्णित वाद में, इस वाद में वादग्रस्त विषय वस्तु के संबंध में निर्णय हो गया है तथा वादियागण व प्रार्थिया अब सहखातेदार नहीं रहे हैं तथा पूर्ववर्ती निर्णित वाद संख्या 95/2020 उनवानी संतरा उर्फ संतोष देवी बनाम तीजा देवी के वाद में पारित निर्णय व डिक्री से अलग अलग खातेदारी हो चुकी है इसलिए भी यह वाद चलने योग्य नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादीगण खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस की। वादी अधिवक्ता ने जाहिर किया की पूर्व वाद की कोई जानकारी नही थी। प्रतिवादीगण ने बाला–बाला वाद डिक्री करवा लिया। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस, दस्तावेजो एवंत तथ्यो का अवलोकन किया गया। प्रकरण एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय के वाद संख्या 95/2020 उनवानी संतरा उर्फ संतोष देवी वगैराह बनाम तीजा देवी व अन्य में अन्य खसरा नंबरान् के साथ साथ प्रस्तुत वाद में विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 224, 236, 239, 240, 242 का भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2022 को वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को निर्णित करते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जा चुकी है। जिसकी प्रति प्रार्थी द्वारा पेश की गई है। उसके पश्चात् तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 17.11.2022 को उक्त वाद में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वाद में पक्षकारान को अलग–अलग खातेदारियां प्रदान कर दी गई, जिसमें वादिया भूरी देवी पत्नी चंदालाल के हिस्से की भूमि भी अलग कर दी गई, तथा वादिया विमला देवी पत्नी गंगाधर की खातेदारी भी अलग कर दी गई, और अब

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.05 14:24:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आगर म. प्र.

वादियागण व प्रार्थिया की भूमि शामलाती नहीं रही है इसलिए बंटवारा किये जाने का अनुतोष शेष नहीं रहता है, उक्त निर्णित वाद में वर्तमान वादिया भूरी देवी व विमला देवी पूर्ववर्ती निर्णित वाद में प्रतिवादी नंबर 18 व 19 बतौर पक्षकार थी तथा उक्त पूर्ववर्ती निर्णित वाद में प्रार्थिया छिगनी देवी भी बतौर पक्षकार प्रतिवादिया नंबर 17 दर्ज थी, उक्त पूर्ववर्ती निर्णित वाद में वादियागण का हिस्सा अलग–अलग करते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की जा चुकी है अर्थात पूर्ववर्ती निर्णित वाद Finally adjudicate किया जा चुका है, फलस्वरूप उपरोक्त वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत अर्थात रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत से बाधित होने के कारण पोषणीय (Maintainable) नहीं है अतः प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.05 14:24:05 IST
Reason: SelfAttested